2023 उपभोग वाउचर स्कीम दूसरी किस्त

सूचना **नोट्स**

2023 उपभोग वाउचर स्कीम दूसरी किस्त ("स्कीम") के तहत, स्थानीय उपभोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक उपभोग वाउचर वितरित किए जाएंगे, जिससे आर्थिक बहाली के लिए बल को बनाए रखा जा सके और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अधिक व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

<u>पात्रता मानदंड</u>

पंजीकरणकर्ता को निम्नलिखित मानदंड को पूरा करना चाहिए[नोट1] -

(A) 29 मई 2023 ("पात्रता दिनांक") को या इससे पहले 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना; तथा

(B) पात्रता दिनांक को,

(i) हांगकांग का ऐसा स्थायीस्थायी निवासी होना जिसके पास हांग कांग का मान्य स्थायी पहचान कार्ड ("HKPIC")[नोट 2] अथवा एक मान्य छूट प्रमाणपत्र ("EC") हो जिसे पंजीकरण आयुक्त द्वारा व्यक्ति के पंजीकरण विनियमन, कैप. 177A[नोट 3] के तहत जारी किया गया हो; अथवा

(ii) हांगकांग का ऐसा निवासी होना जिसके पास मान्य हांगकांग पहचान कार्ड ("HKIC")[नोट 4] अथवा EC[नोट 5] जिसे पंजीकरण आयुक्त द्वारा व्यक्ति के पंजीकरण, विनियमन, कैप. 177A के तहत जारी किया हो, जो हांगकांग और मकाओ के लिए परमिट पर हांगकांग आए हैं (जिसे आमतौर पर "वन वे परमिट" के रूप में जाना जाता है) या, जिनके पास (B)(i) उपरोक्त द्वारा प्रायोजित आश्रित के अनुसार हांगकांग में रहने की मान्य अनुमति है [नोट 6]; अथवा

(iii) नोट 7 के तहत, हांगकांग का निवासी होने के नाते जिसके पास एक मान्य HKIC[नोट 4] या पंजीकरण आयुक्त द्वारा व्यक्ति के पंजीकरण, विनियमन, कैप.

177A के तहत जारी किया गया EC[नोट 5] है, जिसके पास हांगकांग[नोट 6] में रहने की मान्य अनुमति है तथा जिसका ऐसे किसी प्रकार के व्यक्तियों से संबंध नहीं है जो ऊपर (B)(ii)में संदर्भित हैं; तथा

(C) हांगकांग से स्थायी रूप से न तो गए हैं और न ही ऐसा कोई इरादा [नोट 8] है।

[नोट 1: हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार ("सरकार") निर्दिष्ट मानदंडों (अर्थात मानदंड (A) से (C)) और व्यक्तिगत पंजीकरणकर्ताओं से संबंधित किन्हीं भी अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत पंजीकरणकर्ताओं की पात्रता तय करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जिसे सरकार 2023 उपभोग वाउचर स्कीम ("स्कीम") के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मानती है (जिसमें सार्वजनिक फंड का उचित उपयोग सुनिश्चित करना, स्कीम के दुरुपयोग को रोकना, तथा लागू कानूनी प्रावधानों या आवश्यकताओं के विपरीत किसी भी ऐसे संवितरण को रोकना शामिल है किंतु इन तक सीमित नहीं है)।

[नोट 2: HKPIC पर दस्तावेजी प्रमाण के संबंध में एक पंजीकरणकर्ता को मानदंड (B)(i) को पूरा करने के रूप में भी माना जाता है यदि वह एक मान्य वसूली अवधि के साथ HKPIC (अर्थात ROP140/ROP140A) के लिए आवेदन की पावती रखता है।

[नोट 3: स्कीम के उद्देश्य के लिए, एक मान्य HKIC या EC रखने वाले पंजीकरणकर्ता पर भी मानदंड (B) (i) को पूरा करने पर विचार किया जाता है यदि वह: -

(i) पात्रता दिनांक को या उससे पहले हांगकांग का स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पात्र है; तथा

(ii) स्थायी पहचान कार्ड के लिए पात्रता के सत्यापन (“VEPIC”) के लिए एक आवेदन को पात्रता की तारीख को या उससे पहले आप्रवासन विभाग को सबमिट किया है और VEPIC आवेदन बाद में 31 अगस्त 2023 को या उससे पहले अनुमोदित किया गया है।]

[नोट 4: HKIC पर दस्तावेजी प्रमाण के संबंध में एक पंजीकरणकर्ता को मानदंड (B)(ii) या (B)(iii) को पूरा करने के रूप में भी माना जाता है यदि वह एक मान्य वसूली अवधि के साथ HKIC (अर्थात ROP140/ROP140A) के लिए आवेदन की पावती रखता है।

हांगकांग का निवासी जिसके पास पात्रता तिथि के दिन HKIC या ROP140 /ROP140A नहीं है अनुसार लेकिन पात्रता तारीख को या उससे पहले हांगकांग आ गया है और उसने HKIC (या मान्य प्राप्ति अवधि के साथ ROP140/ROP140A) 30 मई और 27 जून 2023 के बीच प्राप्त किया है, उसे HKIC पर दस्तावेजी प्रमाण के संबंध में मानदंड (B)(ii) या B(iii) को पूरा करने के रूप में माना जाता है।

स्कीम के उद्देश्य के लिए, HKIC एक ऐसे पहचान कार्ड को संदर्भित करता है जिसके सामने की तरफ " हांगकांग पहचान कार्ड " शब्द लिखे होते हैं।]

[नोट 5: एक हांगकांग निवासी जो पात्रता की तारीख को या उससे पहले हांगकांग आ गया है तथा 30 मई और 27 जून 2023 के बीच एक EC प्राप्त किया है, उसे EC पर दस्तावेजी प्रमाण के संबंध में मानदंड (B) (ii) या B (iii) को पूरा करने के रूप में माना जाता है।]

[नोट 6: स्कीम के उद्देश्य के लिए, " हांगकांग में रहने की मान्य अनुमति " का अर्थ है आप्रवासन अध्यादेश, कैप. 115 के तहत हांगकांग में रहने की अनुमति, जिसमें आगंतुक के रूप में हांगकांग में रहने की अनुमति शामिल नहीं है।]

[नोट 7: निम्नलिखित व्यक्ति, हालांकि HKIC या कैप. 177A के तहत पंजीकरण आयुक्त द्वारा जारी मान्य EC रखने वाले हांगकांग निवासी हैं (जहां लागू हो) जिनके पास हांगकांग में रहने की मान्य अनुमति है, स्कीम के लिए अयोग्य हैं -

- कोई भी व्यक्ति जो सरकारी श्रम आयात स्कीम के तहत हांगकांग के बाहर से एक अनुबंध कामगार के रूप में कार्यरत है; या
- कोई भी व्यक्ति जो हांगकांग के बाहर से घरेलू सहायक के रूप में कार्यरत है; अथवा

- कोई भी व्यक्ति जो कांसुलर संबंध अध्यादेश, कैप. 557 के अर्थ के अंतर्गत कांसुलर पोस्ट का सदस्य है; अथवा
- कोई भी व्यक्ति जो हांगकांग गैरीसन का सदस्य है; अथवा
- कोई भी व्यक्ति जो एक निर्धारित केंद्रीय पीपुल्स सरकारी यात्रा दस्तावेज का धारक है।]

[नोट 8: स्कीम के उद्देश्य के लिए, यह निर्धारित करने में कि क्या कोई व्यक्ति स्थायी रूप से हांगकांग से चला गया है या ऐसा इरादा है, तो सरकार निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी, लेकिन इन तक सीमित नहीं रहेगी -

(a) क्या व्यक्ति पात्रता की तारीख से ठीक पहले 36 महीने तक हांगकांग से लगातार अनुपस्थित रहा है, और यदि ऐसा है, तो क्या उक्त अवधि के दौरान, वह:

(i) पोर्टेबल व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता स्कीम के तहत सहायता, ग्वांगडोंग स्कीम के तहत भत्ता, या फ़ुज़ियान स्कीम के तहत भत्ता प्राप्तकर्ता था/थी;

(ii) हांगकांग के बाहर ऐसे स्कूल / विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था/रही थी जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(iii) श्रम विभाग द्वारा प्रशासित कार्यकारी अवकाश स्कीम का/की एक प्रतिभागी था/थी;

(iv) चिकित्सा कारणों से हांगकांग के बाहर अस्पताल में भर्ती था/थी;

(v) सरकार के लिए या हांगकांग में स्थित किसी कंपनी / संगठन के लिए हांगकांग के बाहर अस्थायी आधार पर* ड्यूटी करना या ऐसी ड्यूटी करने वाले तत्काल परिवार के सदस्य के साथ रहना; तथा / अथवा

(vi) स्कीम के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य असाधारण कारण होना; और

स्कीम के उद्देश्य के लिए, इसका मतलब है कि व्यक्ति हांगकांग में स्थित किसी *कंपनी या संगठन द्वारा नियोजित है और हांगकांग के बाहर काम करने के लिए अस्थायी रूप से तैनात किया गया है, और तैनाती के बाद हांगकांग लौटने का इरादा है।*

(b) क्या पात्रता की तारीख को या उससे पहले व्यक्ति ने अपने अनिवार्य भविष्य निधि ("MPF") या MPF छूट प्राप्त व्यावसायिक सेवानिवृत्ति स्कीम के तहत लाभों की निकासी के लिए MPF

कानून के तहत हांगकांग से स्थायी रूप से प्रस्थान करने के आधार पर 65 वर्ष की आयु का होने से पहले दावे के कोई अनुरोध सबमिट किए हैं; तथा

(c) यदि व्यक्ति हांगकांग का स्थायी निवासी है तो क्या वह पात्रता की तारीख के अनुसार, स्थानीय रूप से जारी किए गए HKPIC को मान्य रूप से धारण कर रहा है; तथा

(d) क्या कोई सबूत या जानकारी है जिसके आधार पर सरकार का मान ले कि व्यक्ति का भविष्य में हांगकांग लौटने का कोई इरादा नहीं है।]

वाउचर का मूल्य

	पात्रता मानदंड (A); (B)(i) या (B)(ii); और (C) पूरा करने वाले पंजीकरणकर्ताओं के लिए	**पात्रता मानदंड (A); (B)(iii); तथा (C) पूरा करने वाले पंजीकरणकर्ताओं के लिए**
मौजूदा पंजीकरणकर्ता (अर्थात पात्र पंजीकरणकर्ता जिन्हें 16 अप्रैल 2023 को पहली किस्त वाउचर के साथ वितरित की गई थी**)**	$2,000	$1,000
नए पंजीकरणकर्ता	$5,000	$2,500

पंजीकरण, वसूली **और उपयोग**

पात्र व्यक्ति निम्नलिखित संचित मूल्य सुविधाओं (“SVFs”) में से एक के माध्यम से वाउचर एकत्र कर सकते हैं: अलीपे HK, बीओसी पे, ऑक्टोपस, HSBC से पेमी, टैप एंड गो तथा वीचैट पे HK।

पंजीकरण

2023 उपभोग वाउचर स्कीम 1 किस्त के तहत उपभोग वाउचर प्राप्त करने वाले पंजीकरणकर्ताओ के लिए, जब तक कि वे अपने पंजीकरण डेटा में संशोधन नहीं करना चाहते हैं (वाउचर प्राप्त करने के लिए SVF अकाउंट सहित), उन्हें फिर से पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है और उनकी पात्रता की पुष्टि होने के बाद उसी SVF अकाउंट के माध्यम से शेष वाउचर स्वचालित रूप से प्राप्त होगा। यदि वे पंजीकरण डेटा में संशोधन करना चाहते हैं या उन्होंने 2022 उपभोग वाउचर स्कीम के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण नहीं किया है, तो वे स्कीम वेबसाइट (www.consumptionvoucher.gov.hk) में केंद्रीय पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से या अस्थायी सेवा केंद्रों में (कृपया सेवा केंद्रों पर जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेने के लिए 18 5000 पर कॉल करें) से किसी एक पर 5 से 27 जून के दौरान ऑनलाइन संशोधन / पंजीकरण कर सकते हैं।

अस्थायी सेवा केन्द्र

हांगकांग द्वीप

1. 34/F, रिवेन्यू टॉवर, 5 ग्लूसेस्टर रोड, वान चाई
2. यूनिट 1202, 12/F, ओलिम्पिया प्लाज़ा, 255 किंग्स रोड, नॉर्थ पॉइंट

कोलून

3. यूनिट्स 1834-1838, 18/F, पायनियर सेंटर, 750 नाथन रोड, मोंग कोक
4. यूनिट D, 30/F, लीजेंड टॉवर, 7 शिंग यिप स्ट्रीट, क्वुन टोंग

नए क्षेत्र

5. यूनिट्स 906 - 907, 9/F, ऑक्टागन, 6 शा सुई रोड, सुएन वान
6. लेउंग किंग एस्टेट कम्युनिटी सेंटर, लेउंग किंग एस्टेट, तुएन मुन
7. टिन चिंग कम्युनिटी हॉल, टिन चिंग एस्टेट, टिन शुई वाई, युएन लॉन्ग
8. यूनिट 2310, 23/F, मेट्रोपोल स्क्वायर, 2 ओन यियू स्ट्रीट, शेक मुन, शा टिन
9. कॉन्फ्रेंस रूम, क्वोंग फुक कम्युनिटी हॉल, क्वोंग फुक एस्टेट, ताई पो

वसूली

ऑक्टोपस का चयन करने वाले सफल पंजीकरणकर्ता निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से उपभोग वाउचर एकत्र कर सकते हैं:

1. MTR स्टेशनों, लाइट रेल ग्राहक सेवा केंद्रों, निर्दिष्ट सार्वजनिक परिवहन इंटरचेंज और निर्दिष्ट फेरी पियर्स पर स्थापित सब्सिडी वसूली स्थान;
2. 7-इलेवन के सभी आउटलेट, सर्कल के, वेलकम, मार्केट प्लेस बाइ जेसन्स, मार्केट प्लेस, 3ह्वीसिक्सटी और जेसन्स इचिबा;
3. ऑक्टोपस सर्विस पॉइंट्स; तथा
4. ऑक्सोपस ऐप।

HSBC, टैप एंड गो और वीचैट पे HK से अलीपे HK, BoC पे, पेमी चुनने वाले सफल पंजीकरणकर्ताओं के लिए, उपभोग वाउचर पंजीकृत SVF अकाउंट में जमा किया जाएगा।

उपयोग

उपभोग वाउचर का उपयोग स्थानीय रिटेल, खानपान और सेवा आउटलेट या उनके ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर किया जा सकता है। निम्नलिखित लेनदेन आइटम बाहर रखे गए हैं:

- सरकार को भुगतान (उदाहरण के लिए कर, जुर्माना, लाइसेंस शुल्क, सुरंग शुल्क, पार्किंग मीटर)
- सार्वजनिक उपयोगिताओं को भुगतान (अर्थात पानी, बिजली और गैस)
- सार्वजनिक संगठनों को भुगतान (उदाहरण के लिए अस्पताल प्राधिकरण, हांगकांग आवास प्राधिकरण, हांगकांग हाउसिंग सोसायटी)
- शिक्षा व्यय (अर्थात स्थानीय और गैर-स्थानीय पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों और UGC-वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को भुगतान)
- वित्तीय उत्पादों या सेवाओं की खरीद (जैसे बीमा)
- दान (धर्मार्थ, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों सहित)

- हांगकांग के बाहर स्थित मर्चेंट से सीधी खरीद (स्थानीय स्तर पर बनाए गए गैर-स्थानीय ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सहित)
- व्यक्ति से व्यक्ति को भुगतान
- नकदीकरण

<u>समय सारिणी</u>

मौजूदा पंजीकरणकर्ता (अर्थात पात्र पंजीकरणकर्ता जिन्हें 16 अप्रैल 2023 को $3,000 या $1,500 की पहली किस्त वाउचर के साथ वितरित की गयी थी)

ऑक्टोपस

दूसरी किस्त ($2,000 या $1,000)
जब संचयी कुल "पात्र खर्च" पहली किस्त वाउचर (अर्थात $ 3,000 या $ 1,500) की वाउचर राशि तक पहुंच गया है, तो $ 2,000 या $ 1,000 की दूसरी किस्त वाउचर बाद के महीने की 16 तारीख* (16 जुलाई 2023 सबसे पहले; 16 नवंबर 2023 नवीनतम) को वितरित की जाएगी। **केवल ऑक्टोपस के माध्यम से पहली किस्त वाउचर एकत्र करने वाले मौजूदा पंजीकरणकर्ताओं पर लागू होता है। अन्य SVFs के माध्यम से पहली किस्त वाउचर एकत्र करने वाले अन्य मौजूदा पंजीकरणकर्ताओं के लिए, यदि वे दूसरी किस्त वाउचर लेने के लिए ऑक्टोपस पर स्विच करते हैं, तो दूसरी किस्त वाउचर 16 जुलाई को वितरित की जाएगी।*

वाउचर 30 जून 2024 तक एकत्र कर लिए जाने चाहिए।

HSBC, टैप ऐंड गो, वीचैट पे HK से अलीपेHK, BoC पे, पेमी

संवितरण की तारीख
दूसरी किस्त ($2,000 या $1,000)

16 जुलाई 2023

वाउचर की अवधि 29 फरवरी 2024 को समाप्त हो जाएगी।

नए पंजीकरणकर्ता

ऑक्टोपस

दूसरी किस्त पहला वाउचर ($3,000 या $1,500)
16 जुलाई 2023
दूसरी किस्त दूसरा वाउचर ($2,000 या $1,000)
जब संचयी कुल "पात्र व्यय" पहले वाउचर (यानी 3,000 या $1,500) की वाउचर राशि तक पहुँच जाता है, तो $2,000 या $1,000 का दूसरा वाउचर अगले महीने की 16 तारीख को वितरित किया जाएगा (16 अक्टूबर 2023 जल्द से जल्द; 16 फरवरी) 2024 नवीनतम)।

वाउचर 30 जून 2024 तक एकत्र कर लिए जाने चाहिए।

HSBC, टैप ऐंड गो, वीचैट पे HK से अलीपेHK, BoC पे, पेमी

संवितरण की तारीख
दूसरी किस्त पहला वाउचर ($3,000 या $1,500)
16 जुलाई 2023
दूसरी किस्त दूसरा वाउचर ($2,000 या $1,000)
16 अक्टूबर 2023

वाउचर्स का 29 फरवरी 2024 को समय समाप्त होगा।

<u>पूछताछ</u>

कृपया 18 5000 पर स्कीम की हॉटलाइन को कॉल करें। यदि आपको स्कीम हॉटलाइन के स्टाफ के साथ बातचीत के लिए चीयर की दुभाषिया सेवा की जरूरत है, तो कृपया 3755 6877 पर चीयर्स हॉटलाइन से संपर्क करें।